के लिए आयु-सीमा न बढ़ाने का निर्णय किया है ।

भर्ती और चयन की प्रक्रिया पर विचार करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गठित समिति

731. श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती की वर्तमान प्रक्रिया पर विचार करने और चयन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए गठित की गयी समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के नाम विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिये) ।

(ख) और (ग) प्रारम्भ में समिति को अपने गठन के 6 मास के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी । तथापि, संघ लोक सेवा आयोग ने इसके कार्यकाल को 6 मास की अवधि के लिए अर्थात 11 सितम्बर, 1989 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है ।

विवरण

विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के नाम निम्नानुसार हैं :—

1.	श्री सतीश चन्द्र, भूतपूर्व अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	अध्यक्ष
2.	श्री टी०आर० सतीश चन्द्रन, आई०ए०एस० (सेवानिवृत्त), भूतपूर्व मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार ।	सदस्य
3.	श्री एस०एन०माथुर, आई० पी०एस०, (सेवानिवृत्त), भूतपूर्व निदेशक, आसूचना ब्यूरो ।	सदस्य
4.	डा० के० वैंकट रमैया, भूतपूर्व-सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग ।	सदस्य
5.	डा० एफ० मेनजिज, निदेशक, टाटा प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान, पुणे ।	सदस्य
6.	श्री सी०एस० स्वामीनाथन आई०ए० एण्ड ए०एस० (सेवानिवृत्त) भूतपूर्व- सचिव, भारत सरकार ।	सदस्य
7.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का प्रतिनिधि (श्री डी०पी० बागची, संयुक्त सचिव) ।	सदस्य
8.	अपर सचिव संघ लोक सेवा आयोग (श्री पी०सी०होटा) :	सदस्य सचिव

विद्युत् चिकित्सा प्रणाली को मान्यता देने के संबंध में समिति

732. श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत् चिकित्सा प्रणाली को मान्यता प्रदान करने के लिए गठित समिति का कार्यकाल कितना है ;

(ख) विद्युत् चिकित्सा प्रणाली को मान्यता प्रदान करने के लिए गठित समिति ने कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है ;

(ग) प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या समिति ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे)। (क) चिकित्सा विज्ञान की इलैक्ट्रोपैथी पद्धति को मान्यता देने के लिए गठित समिति के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिये) ।

(ख) पहली अगस्त, 1989 ।

(ग) इस समिति की अब तक दो बैठक हुई हैं और इसे अपना कार्य पूरा करने में और समय लगेगा क्योंकि अनेक बुनियादी मुद्दों का हल ढूंढा जाना है ।

(घ) जी, नहीं ।

विवरण

इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

1. भारत में चिकित्सा/उपचार की नई पांचवीं पद्धति के रूप में इलैक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रो-होम्योपेथी के संबंध में किए गए दावों की वैज्ञानिक दृष्टि से तथा वैज्ञानिक विधियां इस्तेमाल करके जांच करना और इसकी वैज्ञानिकता, यदि कोई हो, पता लगाना ;

2. इसकी उत्पत्ति, समयकालीन पुनः प्रचलन, यदि कोई हो और "कॉम्पलेक्सा काम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर" की जांच करना जो इलेक्ट्रोपेथी/इलैक्ट्रोहोम्योपेथी चिकित्सा पद्धति को बल देते हैं और उपचार की इस पद्धति को एक अनन्य और स्वतंत्र पद्धति के रूप में स्थापित करना ;

3. इलेक्ट्रोपेथी/इलेक्ट्रो-होम्योपेथी उपाचार पद्धति की प्रभावकारिता या उपयोगिता क्षमता की नैदानिक दृष्टि से जांच करना और एलोपैथी, आयुर्वेद आदि जैसी दूसरी स्थापित चिकित्सा पद्धतियों के मुकाबले इसके अपेक्षाकृत गुणों या अनन्य विशेषताओं, यदि कोई हों का पता लगाना ताकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध करने में इसे सहायक बनाया जा सके ;

4. उपलब्ध सूचना/आंकड़ों के वैज्ञानिक और नैदानिक मूल्यांकन या दूसरी प्रकार की सामग्री से इस बात का पता लगाना कि क्या इलैक्ट्रोपैथी/इलैक्ट्रो-होम्योपैथी की होम्योपेथी चिकित्सा पद्धति या किसी अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति से समरूपता या सह-सम्बन्ध है और यदि हो तो, किस हद तक ;

5. इलेक्ट्रोपेथी/इलैक्ट्रो-होम्योपेथी जिस में इसकी फार्माकोपिया भी शामिल है, से संबंधित किन्ही दूसरे पहलुओं या विषयों, यदि कोई हो, की जांच करना, यदि आवश्यक हो या समिति उचित समझे तो दूसरे देशों में इसकी मान्यता के स्तर का पता लगाना ताकि संदर्भाधीन विषय के बारे मे सही स्थिति का पता लगाया जा सके ।

प्रयोगशालाओं में हिन्दी अधिकारी। अनुवादक

733. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की किन-किन प्रयोगशालाओं में हिन्दी अधिकारियों एवं हिन्दी अनुवादकों के कितने-कितने पद हैं तथा किन-किन प्रयोगशालाओं में अभी तक ऐसे कोई पद नहीं हैं ;

(ख) मंजूर किये गये पदों में से अब तक कितने पद भरे जा चुके हैं तथा कितने खाली हैं ; और

(ग) रिक्त पदों को कब तक भर दिये जाने की संभावना है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।